न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/79/2014**

**उनवान**

1. भैरू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. भालू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. माधू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. दलेल सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकामः–
   1/1 शिव सिंह पिता दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
   1/2 विजेन्द्र सिंह पिता दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा तहसील आसीन्द
   1/3 बालाकंवर पुत्री दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
   1/4 श्रीमती फूलकंवर बेवा दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
2. भगवान सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. प्रभु सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द मृतक के कायम मुकाम :–
   3/1 सतु सिंह पिता प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
   3/2 अनु सिंह पिता प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
   3/3 श्रीमती सोना कंवर पत्नि प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   3/4 गणेशकंवर पुत्री प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3/5 कंचनकंवर पुत्री प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
4. प्रताप सिह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
5. किशन सिंह पिता रूप सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
6. अम्बा लाल पिता घीसू गुर्जर निवासी केरियाखेडा
7. नारायण पिता घीसू गुर्जर निवासी केरियाखेडा
8. सुखा पिता शंभू गुर्जर नाबालिग बबिलायत संरक्षक दादी श्रीमती नानी बेवा घीसा गुर्जर निवासी केरियाखेडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 249/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2010

अधिवक्तागण :—

1. श्री विपुल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी 2, 4 से 8
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 25.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केरिया खेडा पटवार हल्का दडावट तहसील आसीन्द में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 8 के सम्मिलित खाते की आराजी खाता नम्बर 55 पर आराजी नम्बर 499 रकबा 0.2200 हे0, आराजी नम्बर 500 रकबा 0.1900 हे0, आराजी नम्बर 501 रकबा 0. 9700 हे0, आराजी नम्बर 502 रकबा 1.1800 हे0 , आराजी नम्बर 503 रकबा 0.1500 हे0, आराजी नम्बर 505 रकबा 0. 4700 हे0, आराजी नम्बर 506 रकबा 0.0700 हे0, आराजी नम्बर 517 रकबा 0.5900 हे0, व आराजी नम्बर 518 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

0.4900 हे0 जुमला किता 9 रकबा 4.3300 हे0 लगानी 47 रू0 82 पैसे स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात का आज से करीब 50 साल पूर्व मौखिक बंटवाडा होकर उक्त आराजियात के मालिक विक्रेतागण उसी अनुरूप काबिज काश्त चले आ रहे थे व वादीगण ने उसी कब्जे अनुरूप विक्रेता से उक्त आराजियात खरीद की व वक्त खरीद से वादीगण अपने हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहे है। मौखिक बंटवाडो व मौके की खरीद सुदा आराजी के अनुसार वादीगण के हिस्से में आराजी नम्बर 503 रकबा 0.15 हे0, आराजी नम्बर 505 रकबा 0.47 हे0, आराजी नम्बर 506 रकबा 0.0700 हे0, आराजी नम्बर 517 रकबा 0.5900 हे0, व 518 रकबा 0.4900 हे0, जुमला किता 5 रकबा 1.77 हे0, व प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 के हिस्से में आराजी नम्बर 499 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्बर 500 रकबा 0.19 हे0, व 501 रकबा 0.97 हे0 तथा प्रत्यर्थी नम्बर से 6 से 8 के हिस्से में आराजी नम्बर 502 रकबा 1.18 हे0 आई । उसी अनुरूप सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के हिस्से में आई आराजी नम्बर 506, 503, सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 505 में से 10 एयर जो कि खड्डेनुमा होकर नाकाबिल काश्त को एक लाख रूपये से अधिक की लागत लगाकर उसमें मिट्टी भरवाकर उक्त खड्डेनुमा भूमि को काबिल काश्त बनवाई और उस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। खड्डेनुमा आराजी होने के कारण वादीगण के हिस्से में ज्यादा रकबा है।

2. प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 ने वादीगण से धोखे से उक्त आराजियात का बंटवाडा तहसील आसीन्द में ले जाकर कराया जो नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 29.1.2009 को फैसल हुआ लेकिन वादीगण को इस बाबत जानकारी होने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर तहसीलदार के यहॉ रिव्यू पेश करने पर उक्त नामान्तरकरण नम्बर 131 दिनांक 10.2.2009 को खारिज करते हुए उक्त खाता पूर्व की भॉति रखा। उक्त आराजियात सम्मिलित खाते में दर्ज होने के कारण पक्षकारान द्वारा काश्त करने, फसल काटने, लगान वगैरह जमा कराने में परेशानी होती है । वादीगण के हिस्से मे आई आराजी नम्बर 503, 505, 506, 517, 518 में आये दिन प्रतिवादीगण फसल काश्त करने एवं काटने में हस्तक्षेप करते हैं। उक्त रवैया दिनांक 15.5.2009 से जारी कर रखा है। अतः वादीगण की आराजी नम्बर 503, 505, 506, 517, 518 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादीगण को बेदखल नहीं करें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे एंव कब्जे अनुसार वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र डिक्री किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीगण को तत्समय जानकारी नहीं हो सकी । पटवारी हल्का से दिनांक 14.3.2014 को उक्त भूमि के विभाजन की डिक्री पारित होने की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त होने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम केरिया खेडा पटवार हल्का दडावट तहसील आसीन्द में अपीलार्थीगण/वादीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के सम्मिलित खाते की आराजी खाता नम्बर 55 पर आराजी नम्बर 499 आराजी नम्बर 500 आराजी नम्बर 501, आराजी नम्बर 502, आराजी नम्बर 503 , आराजी नम्बर 505, आराजी नम्बर 506, आराजी नम्बर 517, व आराजी नम्बर 518 कुल किता 9 रकबा 4.3300 हे0 भूमि अपीलार्थीगण/वादीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 के सम्मिलित खाते की होकर उक्त आराजियात का आज से करीब 80-85 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवाडा वादीगण व प्रत्यर्थीगण के विक्रेताओं के मध्य हो गया था। उसी अनुरूप वे काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे व अपीलार्थीगण/वादीगण ने उसी कब्जे के अनुरूप ही विक्रेता से उक्त आराजियात में उनका 1/3 हिस्सा क्रय किया था। वक्त खरीद से अपीलार्थीगण/वादीगण अपने हिस्से व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहे है। मौखिक बंटवाडो व मौके की खरीद सुदा आराजी के अनुसार वादीगण के हिस्से में आराजी नम्बर 503 रकबा 0.15 हे0, आराजी नम्बर 505 रकबा 0.47 हे0, आराजी नम्बर 506 रकबा 0.0700 हे0, आराजी नम्बर 517 रकबा 0.5900 हे0, 518 रकबा 0.4900 हे0, भूमि जुमला किता 5 रकबा 1.77 हे0 आई व प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 के हिस्से में आराजी नम्बर 499 रकबा 0.22 हे0, आराजी नम्बर 500 रकबा 0.19 हे0, व 501 रकबा 0.97 हे0 तथा प्रतिवादी नम्बर से 6 से 8 के हिस्से में आराजी नम्बर 502 रकबा 1.18 हे0 आई ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसी अनुरूप सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

7. अपीलार्थीण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण के हिस्से में आई आराजी नम्बर 506, 503, सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 505 में से 10 एयर जो कि खड्डेनुमा होकर नाकाबिल काश्त थी जिसे डेढ लाख रूपये लागत की मिट्टी डलवाकर उक्त खड्डेनुमा भूमि को काबिल काश्त बनवाई और उस पर अपीलार्थीगण/वादीगण काबिज होकर काश्त करता चला आ रहे है। खड्डेनुमा आराजी होने के कारण अपीलार्थीगण/वादीगण के हिस्से में ज्यादा रकबा आया है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने अपीलार्थीगण/वादीगण से धोखे से उक्त आराजियात का बंटवाडा तहसील आसीन्द में ले जाकर कराया जो नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 29.1.2009 को फैसल हुआ लेकिन वादीगण को इस बाबत जानकारी होने पर तहसीलदार के यहॉ रिव्यू पेश करने पर उक्त नामान्तरकरण नम्बर 131 दिनांक 10.2.2009 को खारिज करते हुए उक्त खाता पूर्व की भॉति रखा गया ।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण उक्त भूमि में अलग–अलग खातेदार थे जिनके मध्य उक्त आराजियात का मौखिक बंटवाडा 80–85 वर्ष पूर्व हो गया था प्रत्येक विक्रेता का उक्त भूमि पर अलग–अलग कब्जा चला आ रहा था । भूमि की किस्म हल्की होने से व खड्डेनुमा भूमि अपीलार्थीगण के विक्रेताओं के हिस्से में आने से उनके नाम पर कुछ जमीन ज्यादा रखी गई। अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने विक्रेताओं के हिस्से व कब्जे अनुसार ही भूमि क्रय की थी व अलग कब्जा प्राप्त किया था । अपीलार्थीगण ने अपने हिस्से में आई भूमि को मिट्टी भराकर काबिलकाश्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

बनवाया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि पक्षकारान के हिस्से व कब्जे व उनके विक्रेताओं के मध्य हुए मौखिक बंटवाडे की साक्ष्य को लेकर व वादीगण द्वारा खड्डेनुमा भूमि को काबिलकाश्त करने में हुए खर्चे बाबत भी साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर निर्णय पारित करते। तो अंतिम डिक्री पारित करने में कोई अडचन नही होती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर भारी भूल की है। अतःअधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने वाद में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि क्रय करने से उनके हिस्से में जो भूमि आराजी नम्बर 503, 505, 506, 517 व 518 किता 5 रकबा 1.77 हे0 भूमि वादीगण के हिस्से व कब्जे में आई उसको शामलाती खाते से अलग कर वादीगण के नाम पर विभाजन से दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकियात कायम की गई एवं न ही कोई साक्ष्य ही ली गई। मात्र जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज के आधार पर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री को निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है।

12. अपीलार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर जो भूमि क्रय की गई है उसमें आराजी नम्बर नही क्रय किये हैं। वादग्रस्त भूमि का हिस्सा क्रय किया है। वही अंकन राजस्व रेकार्ड में किया गया है। उसी हिस्से अनुसार अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा निर्णय एव प्रांरभिक डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत है।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बाद तहसीलदार सा0 से प्रस्ताव तलब किया जाकर निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की जा चुकी है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन भी किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने पूर्व विक्रेताओं के मध्य हुए राजीनामे एवं कब्जे के अनुसार भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा अपीलार्थीगण/वादीगण के पूर्व विक्रेताओं के हिस्से में खड्डेनुमा भूमि आई इस कारण उनके हिस्से में ज्यादा भूमि आई थी। जिसे अपीलार्थीगण/वादीगण ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उसके बाद उक्त खड्डेनुमा भूमि को लागत लगाकर मिट्टी भरवाकर काबिलकाश्त बनाया इसलिए उनके हिस्से में अधिक भूमि है। अपीलार्थीगण ने अपने हिस्से में आराजी नम्बर 503, 505, 506, 517, 518 आई थी । जिसे अपीलार्थीगण/वादीगण के हिस्से में विभाजन से दर्ज किये जाने का निवेदन किया था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2062 जो कि दिनांक 24.3.2009 को तहसीलदार भू अभिलेख से जारी की गई थी उसमें वादग्रस्त आराजी में सें अपीलार्थीगण/वादीगण का 1/3 हिस्सा अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि का उभयपक्ष के मध्य विभाजन का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के उपरान्त तहसीलदार आसीन्द से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन भी हो चुका है।

17. अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी नम्बर का क्रय नहीं कर विकय पत्र द्वारा वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा क्रय किया है । उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है। राजस्व रेकार्ड के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद अपीलाधीन निर्णय (प्राथमिक डिक्री)द्वारा निर्णित किया गया है। जो विधिसम्मत है। जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

18. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2010 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे ।

19. निर्णय आज दिनांक 25.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस**

**अपील संख्या आर टी ए/79/2014**

उनवान

1. भैरू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. भालू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. माधू पिता हीरा गुर्जर निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. दलेल सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा मृतक के कायम मुकामः–

1/1 शिव सिंह पिता दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

1/2 विजेन्द्र सिंह पिता दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा तहसील आसीन्द

1/3 बालाकंवर पुत्री दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

1/4 श्रीमती फूलकंवर बेवा दलेल सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

2. भगवान सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. प्रभु सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी केरिया खेडा तहसील आसीन्द मृतक के कायम मुकाम :–

3/1 सतु सिंह पिता प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

3/2 अनु सिंह पिता प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

3/3 श्रीमती सोना कंवर पत्नि प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

3/4 गणेशकंवर पुत्री प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

3/5 कंचनकंवर पुत्री प्रभू सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा

4. प्रताप सिह पिता गुलाब सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
5. किशन सिंह पिता रूप सिंह राजपूत निवासी केरियाखेडा
6. अम्बा लाल पिता घीसू गुर्जर निवासी केरियाखेडा
7. नारायण पिता घीसू गुर्जर निवासी केरियाखेडा
8. सुखा पिता शंभू गुर्जर नाबालिग बबिलायत संरक्षक दादी श्रीमती नानी बेवा घीसा गुर्जर निवासी केरियाखेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 249/2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2010

## अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए//2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्री जारी की जाती हैं:-

यह अपील तारीख 25.1.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री विपुल बापना वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री गोपाल अजमेरा एवं राजकीयय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 25.1.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2010 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 25.1.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्री जारी की जाती है।

25/1/19

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

**अपील के खर्चे**

| अपीलाण्ट | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|
| 1. अपील के लिये ज्ञापन | 1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प |
| 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | 2. अर्जी के लिये स्टाम्प |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | 3. आदेशिकाओं की तामील |
| 4. प्लीडर की फीस | 4. प्लीडर की फीस |